अपील संख्या 01/2020

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10–09–2021	पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित। यह अपील उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के आदेश दिनाक 08.06.2018 के विरूद्व पेश की गई है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त भूमि पैराफेरी क्षेत्र में स्थित होने से खारिज की गई है। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है जो क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर विचाराधीन चल रही है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में क्षेत्राधिकार बिन्दु पर बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा नं. 659/269 तादादी 2 बीधा वाके रोही ग्राम गुलेरिया तहसील सुजानगढ मे है। अपीलान्ट ने उक्त खसरे की भूमि में से 3522.39 वर्गमीटर भूमि का औधोगिक प्रयोजनार्थ रूपातरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा कार्यवाही करते हुवे अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये। अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट मे पेश की गई है। अतः अपील में क्षैत्राधिकार के बिन्दु को स्वीकार करते हुवे रेस्पोडेन्ट के निमित नोटिस जारी किये जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जावे। हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के द्वारा पारित आदेश- दिनांक 03.11.2016 के विरूद्व भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील सं. 02/2017 प्रस्तुत हुई। जो निर्णय दिनांक 31.05.2017 के द्वारा रिमाण्ड की गई। रिमाण्ड होने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ द्वारा पुनः निर्णय दिनांक 08.06.2018 को पारित किया गया जिसके विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जबकि राजस्व विभाग के अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसार जिला कलक्टर के द्वारा मूल रूप से पारित आदेश तथा प्रथम अपील में पारित निर्णय के विरूद्व अपील इस न्यायालय में पेश की जा सकती है। जबकि अभिभाषक अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश जिसमे भूमि पैराफेरी क्षेत्र में होने से रूपान्तरण आदेश को खारिज किया है, के विरूद्व इस न्यायालय मे अपील पेश की है। अतः इस न्यायालय में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी यह अपील क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण मूल अपील मय दस्तावेज अभिभाषक अपीलान्ट को वापिस लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। अभिभाषक अपीलान्ट इस अपील को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर	मूल अपील मय दस्तावेज प्राप्त किये S.Bhati